

**विश्वभारती
शांतिनिकेतन**

कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक सं. एफ 10-1/2008 (जेसीआरसी) दिनांक 28/09/2010 एवं सं. 10-1/2008 (जेसीआरसी) स्कूल शिक्षक दिनांक 13/04/2016 के द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार स्थिर किये गये छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान में संशोधन और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंतरंग भाग के रूप में अवस्थित स्कूल शिक्षकों की पदोन्नति/वित्तीय उन्नयन के निपटान किये जाने हैं।

सं. स्था/ई-III/केवीएस
दिनांक: 29/01/2025

हस्ता/-
कुलसचिव (कार्यकारी)
विश्वभारती

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति अग्रेषित:-

1. सभी निदेशक/ सभी भवनों के प्रिंसिपल/विभाग
2. सभी विभाग/केंद्र के प्रधान
3. वित्त अधिकारी/आईएओ/जेएफओ/सीएमओ
4. सभी संयुक्त कुलसचिव/उप कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव
5. कुलानुशासक/छात्र कल्याण के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष
6. संयुक्त कुलसचिव (लेखा)
7. संयुक्त कुलसचिव एवं कुलपति के गोपनीय सचिव
8. हिंदी अधिकारी - हिंदी में अनुवाद कर विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।
9. विश्वविद्यालय वेब मास्टर - विश्वविद्यालय वेब साइट पर अपलोड हेतु।
10. सहायक कुलसचिव (बैठक) - कर्मसमिति के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत करें।
11. कुलसचिव के निजी सहायक